Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में चेयरमैन नगर परिषद 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 अक्टूबर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर इकाई द्वारा आज सवाईमाधोपुर कार्यवाही करते हुये विमल चंद महावर चेयरमैन नगर परिषद, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म किये गये बिजली मेंटिनेंस के कार्यों के बकाया बिलों राशि करीब 3 लाख 50 हजार के भुगतान की एवज में कमीशन के रूप में विमल चंद महावर चेयरमैन नगर परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी से **58 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी मुख्यालय स्थित एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अलवर द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री चित्रगुप्त महावर एवं पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीना वर्मा** एवं उनकी टीमों द्वारा सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विमल चंद महावर पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी गुरूद्वारे के पास, ब्रह्मपुरी मौहल्ला, सवाईमाधोपुर हाल चेयरमैन नगर परिषद, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी चेयरमैन द्वारा परिवादी से शिकायत के सत्यापन के दौरान ही **20 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। विदित रहे कि आरोपी चेयरमैन के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत लेकर नगर परिषद के अनेक पार्षदों द्वारा पिछले 15 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।